स.ओ.वि.–सोनीपत/16–83/59465.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री बरलू राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641–1–श्रम–70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864–ए.एस.ओ. (ई) श्रम–70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बरलू राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 15 नवम्बर, 1983

सं. ओ.वि./अम्बाला/267–83/59856.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कार्यकारी अभियन्ता, "आपरेशन डिविजन" हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, अम्बाला, छावनी श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औगिकद्यो विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415–3–श्रम–68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495–जी–श्रम/57/11245, दिनांक, 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 नवम्बर, 1983

सं.ओ.वि./एफ.डी/11/235–83/58647.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै. इण्डिया कास्टिंग प्लाट नं० 295 सैक्टर–24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वास देव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इस लिये अब औद्यागिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- कके अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं :

क्या श्री वासदेव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

सं.ओ.वि./148–83/58774.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै. मार्डन सी फैक्ट्री प्लाट नं० 20, सैक्टर–25, बल्लवगढ़, के श्रमिक श्री इन्दल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम का धारा 7 के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री इन्दल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी. एस. चौधरी,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

स.जो.वि./फरीदाबाद/126-83/58708.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. इन्डीस्ट्रीयल एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स कारपोरेशन 45 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट सैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला(मामले)है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला(मामले)है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं,

कारखाने में स्थाई प्रवृति के कार्य पर जो ठेकेदारी प्रथा लागू है क्या उसे समाप्त किया जाये ?

मुनीश गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 14 नवम्बर, 1983

क्रमांक 1347-ज-(II)-83/36836.—श्री सूरजभान सिंह, पुत्र श्री मामराज सिंह, गांव टांकरी, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 19 सितम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (I) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सूरजभान सिंह को मुब्लिग 300/-रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 264-आर (4)-66/1143, दिनांक 18 अप्रैल, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-111-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जावित्री देवी के नाम रबी, 83 से 300/-रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1271-ज-I-83/36840—श्री डिप्टी लाल, पुत्र श्री धनराज, गांव वड़ागांव, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (I ए) तथा 3(I ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री डिप्टी लाल की मुब्लिग 300/-रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2396-ज-I-80/3051, दिनांक 28 जनवरी, 1981 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती कमला देवी के नाम खरीफ, 1982 से 300/-रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।